Amount of Rs 50 Crore transferred for infrastructure development जोनपुर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जोनपुर

Web Site:www.vbspu.ac.in



Email.ID: fovbspu2015@gmail.com

पत्रांक-वि०अधि० /2034 / 2021

दिनांक-04,09. 2021

सेवा में,

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय-राज्य विश्वविद्यलय आजमगढ़ के भवनों के निर्माण के लिये विश्वविद्यालय की पूल निधि से रू० 50.000 करोड़(पचास करोड़) की धनराशि का हस्तांतरण के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0—1443/सत्तर—4—2001, महोदय, दिनांक-27.7.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य विश्वविद्यलय आजमगढ़ के भवनों के निर्माण के लिए उक्त अधिसूचना के अनुपालन में राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ को बैंक खाता खोलकर वीर बहादुर सिंह पूर्वीचल विश्वविद्यालय,जौनपुर के पूल निधि से रू० 50.000 करोड़(पचास करोड़ मात्र) की धनराशि हस्तांतरित किये जाने की अपेक्षा की

वित्त अधिकारी,राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़/महात्मा गांधी काशी गयी है। विद्यापीठ,वाराणसी के पत्र सं0-आरावि-वित्त / 02 / 2021, दिनांक 31.7.2021 द्वारा कुलसचिव/वित्त अधिकारी, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के खाता के संबंध में अवगत कराया गया तथा इसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित की गयी है।

> a Registra 1 University Jaunpur

वित्त अधिकारी,राज्य विश्ववद्यालय आजमगढ़ के पत्र सं0-आरावि-वित्त / 03 / 2021, दिनांक – 25.8.2021 तथा पत्र सं० – आरावि – वित्त / 04 / 2021, दिनांक-27.8.2021 के द्वारा उक्त धनराशि के संबंधित खाता संख्या में हस्तांतरण की पुष्टि की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें। संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय (संजय कुमार राय) वित्त अधिकारी

तद् दिनांक-84.0.9,2021

पत्रांक-वि०अधि० /३८३५ / २०२१

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

3. मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल,आजमगढ़ को विशेष सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र सं0-1443 / सत्तर-4-2021, दिनांक-27.7.2021 के कम में

4. जिलाधिकारी आजमगढ़ को विशेष सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र सं0-1443 / सत्तर-4-2021, दिनांक-27.7.2021 के कम में सूचनार्थ।

5. वित्त अधिकारी / कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय,आजमगढ़ को विशेष सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र सं0-1443 / सत्तर-4-2021, दिनांक-वित्त अधिकीरी 27.7 2021 के कम में सूचनार्थ।

UdilloCanner

प्रेपक.

राधेश्याम वित्त अधिकारी आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ / महात्या गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

सेवा में,

कुलसिव / वित्त अधिकारी वीर वहादुर सिंह पूर्वीचल विश्वविद्यालय जौनपुर / आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

दिनांक:..27-08-2021

महोदय,

वीर वहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जीनपुर द्वारा आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के पक्ष में निर्गत धनराशि रू० 1000/— एवं धनराशि रू० 49,99,99,000/— कुल धनराशि रू० 50.00 करोड़ आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के इंडियन चैंक रिधत खाता संख्या—7051202882 में अन्तरित हो गया है, जिसका वैंक स्टेटमेंट पत्र के साथ संलग्न प्रेपित है।

गवदीय

संलग्नक-यथोपरि।

र्गः (राधेश्याम) वित्त अधिकारी

THE STREET

V.B.S. Purvanchal University
Jaunpur

Dre

1.1



मेल / समयबद्ध संख्या- । ५५३ / सत्तर-4-2021

अब्दुल समद, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

कुलसचिव/वित्त अधिकारी, वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल विश्वविद्यालय, जौनपुर/ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़।

लखनऊ : दिनांक 27जुलाई, 2021 उच्च शिक्षा अनुभाग-4 विषय:--राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ के भवनों के निर्माण के लिए विश्वविद्यालय की पूल निधि से रू० 50.00 करोड़ की धनराशि का हस्तान्तरण के संबंध में।

महोदय.

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या—1942 / सत्तर—1—2020—16(74) / 2018टी०सी०, दिनांक 21.10.2020 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त अधिसूचना के अनुपालन में वीर बहादुर सिंह पूर्वीचल विशविद्यालय, जौनपुर की पूल निधि से रू० 50.00 करोड़ (रू० पचास करोड़) की धनराशि राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के भवन निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जानी है। धनराशि के हस्तान्तरण के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः निर्देशित किया जाता है कि राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के भवनों के निर्माण के लिए उक्त अधिसूचना के अनुपालन में राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ का बैक खोता खोलकर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की पूल निधि से रू० 50.00 करोड़ की धनराशि हस्तान्तरित कराया जाना सुनिश्चित करें।

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

जिलाधिकारी, आजमगढ़।

आज्ञा से,

(अब्दुर्ल समद) विशेष सचिव।

(अब्दुल समद) विशेष सचिव।